

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला—2, 13 जून, 2012

संख्या: एल0एल0आर0—डी0(6)—29 / 2012—लेज़—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 8—6—2012 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 (2012 का अध्यादेश संख्यांक 3) को संविधान के अनुच्छेद 348(3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई—राजपत्र में प्रकाशित करती हैं।

आदेश द्वारा,
(के0 एस0 चंदेल),
सचिव (विधि)।

2012 का हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।—(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2012 है।

(2) यह प्रथम अप्रैल, 2012 को प्रवृत्त होगा और सदैव प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 4 का संशोधन।—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (6) के खण्ड (ग) में, “4,00,000/-” चिन्हों के स्थान पर “5,00,000/-” अंक और चिन्ह रखे जाएंगे।

3. धारा 16 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा उपधारा (3) के पश्चात् नई उपधारा (3 क) अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“(3क) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, व्यौहारी के किसी वर्ग को, ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, आवर्त की ऐसी सीमा और ऐसी अवधि के लिए, जैसी विहित की जाए, विवरणी को दाखिल

करने से छूट दे सकेगी तथा स्त्रोत पर की गई कर की कटौती, यदि कोई है, को कर का अंतिम संदाय समझा जाएगा और ऐसा व्यौहारी उस अवधि के लिए निर्धारण के लिए दायी नहीं होगा।”।

(उर्मिला सिंह)
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

(के० एस० चन्देल)
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

शिमला:

तारीख:

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H.P. Ordinance No. 3 of 2012

**THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2012**

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Sixty-third Year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No.12 of 2005).

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2012.

(2) It shall and shall always be deemed to have come into force on the first day of April, 2012.

2. Amendment of section 4.—In section 4 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), in sub-section (6), in clause (c), for the figures and signs “4,00,000/-”, the figures and signs “5,00,000/-” shall be substituted.

3. Amendment of section 16.—In section 16 of the principal Act, after sub-section (3), the following new sub-section (3a) shall be inserted, namely:-

“(3a) The State Government may, by notification, exempt any class of dealer from filing of return, subject to such restrictions and conditions, such limit of turnover and for such period, as may be prescribed, and tax, if any, deducted at source, shall be deemed final payment of tax and such dealer shall not be liable to assessment for that period.”.

(URMILA SINGH)
*Governor,
Himachal Pradesh.*

(K.S. Chandel)
*Secretary (Law)
Himachal Pradesh*

Place: Shimla
Date: